# RAJASTHAN NURSING COUNCIL
# JAIPUR

अत्यावश्यक

**B-39, Sardar Patel Marg, C- Scheme, Jaipur, Ph- 2222923**

क्रमांकः–आर.एन.सी./सामान्य/2019/ 373   दिनांक 07/03/2019

समस्त प्रधानाचार्य/ निदेशक,
राजकीय/निजी, ए.एन.एम.टी.सी.
जी.एन.एम.टी.सी. एवं नर्सिंग कॉलेज,
राजस्थान।

विषयः–दिनांक 10 मार्च 2019 को आयोजित राष्ट्रीय पल्स पोलियों टीकाकरण दिवस के क्रम में।
संदर्भः–इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 368 दिनांक 01.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय पल्स पोलियों टीकाकरण दिवस दिनांक 10.03.2019 के सफल क्रियान्वयन हेतु पल्स पोलियों की स्टेट टॉस्क फोर्स की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार 0 से 05 वर्ष तक के सभी लाभार्थियों के घर पर जाकर उन्हें बुलावा पर्ची दी जानी है। इस हेतु सुनिश्चित करें कि जिन नर्सिंग स्टूडेन्टों की ड्यूटी पल्स पोलिया अभियान में आपके द्वारा लगाई गई है, वे बूथ दिवस (10 मार्च 2019) से एक दिन पूर्व अपने क्षेत्र के 0 से 5 वर्ष तक के सभी लाभार्थियों के घर जाकर अभिभावकों को बूथ पर आने हेतु प्रेरित करेंगे तथा लाभार्थी के घर पर ही बैठकर सादा कागज पर निम्नलिखित सूचनायें अंकित करते हुए बुलावा पर्ची बनाकर देंगे और जितने लाभार्थियों को बुलावा पर्ची देंगे उनकी संख्या अपने पास अंकित कर रखेंगे।

- लाभार्थी का नाम ..........................................
- जन्म दिनांक/आयु ..........................................
- माता/पिता का नाम ..........................................
- मोहल्ला/बस्ती ..........................................
- नजदीकी बूथ का स्थान ..........................................

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा लगाये गये नर्सिंग छात्र/छात्राओं से उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियों टीकाकरण अभियान को सफल बनावें।

(राजेन्द्र शर्मा)
**रजिस्ट्रार**
**राजस्थान नर्सिंग कौंसिल**
**जयपुर**

क्रमांकः–आर.एन.सी/सामान्य/2019/   दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, एवं मिशन निदेशक एन.एच.एम. राजस्थान।
3. निजी सहायक, अति. मिशन निदेशक एन.एच.एम. एवं निदेशक (आई.ई.सी.)
4. श्रीमान निदेशक (जन स्वा.)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान निदेशक(आर.सी.एच.),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,राजस्थान जयपुर।
6. परियोजना निदेशक(इम्यू.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
7. अति. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

**रजिस्ट्रार**
**राजस्थान नर्सिंग कौंसिल**
**जयपुर**